**प्रेस नोट**

**दिनांक 03.09.2025**

## थाना तरबगंज पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-446/24, धारा 3(5)/105/110 बी0एन0एस0 व 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 के वांछित अभियुक्तगण 1. कृष्ण कुमार कनौजिया पुत्र रामछबीले व 2. मो० इशहाक पुत्र स्व0 नियामत उल्ला उर्फ नक्खू निवासीगण बेलसरडीहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को आरोपी इशहाक के घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

## घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.10.2024 को करीब 13.00 बजे थाना तरबगंज क्षेत्रांतर्गत बेलसर डीहा के एक खाली पड़े घर में बाहर से ताला लगाकर कर अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम हो रहा था, जिसमें अचानक धमाका होने से पटाखा बना रहे 05 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिनमें उपचार के दौरान 03 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जिसमें थाना तरबंगज पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण कृष्ण कुमार कनौजिया व मो० इशहाक गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहे थे। जिनकी गिरफ्तारी हेतु मा0 न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था। जिसमें आज दिनांक 03.09.2025 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तगण 1. कृष्ण कुमार कनौजिया पुत्र रामछबीले व 2. मो० इशहाक पुत्र स्व0 नियामत उल्ला उर्फ नक्खू निवासीगण बेलसरडीहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को आरोपी इशहाक के घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किय गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कृष्ण कुमार कनौजिया पुत्र रामछबीले नि0 बेलसरडीहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
2. मो० इशहाक पुत्र स्व0 नियामत उल्ला उर्फ नक्खू नि0 बेलसरडीहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

## पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-446/24, धारा 3(5)/105/110 बी0एन0एस0 व 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0, थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

## गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 उपेन्द्र यादव
02. कां0 अजय कुमार
03. कां0 वीरेन्द्र प्रताप

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**
**दिनांक 03.09.2025**

## थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

**कार्यवाही-**
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना उमरी बेगमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-179/2025, धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त मोहित निषाद पुत्र संजय निषाद निवासी मदरही मजरे सोनौली मोहम्मदपुर वर्तमान पता उमरी बाजार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को पीडी बन्धा पर सड़क के किनारे से गिरफ्तार कर लिया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**
वादी धर्मपाल निषाद पुत्र साधू निषाद निवासी ग्राम ऐली परसौली घोड़हनपुरवा थाना उमरी बेगमगंज गोण्डा ने थाना उमरी बेगमगंज में लिखित तहरीर दी कि उसके भाई प्रकाश द्वारा मोहित निषाद के घर के जेवर अज्ञात सोनार के यहाँ गिरवी रखे गये थे, इसके लिए मोहित निषाद पुत्र संजय निषाद निवासी उमरी हनुमंत बाजार थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा द्वारा वादी के भाई प्रकाश को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। जिस से क्षुब्ध होकर वादी के भाई प्रकाश ने आत्महत्या कर ली है। वादी की तहरीर पर थाना उमरी बेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकत हुआ। आज दिनांक 03.09.2025 को थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए वांछित अभियुक्त मोहित निषाद पुत्र संजय निषाद निवासी मदरही मजरे सोनौली मोहम्मदपुर वर्तमान पता उमरी बाजार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को पीडी बन्धा पर सड़क के किनारे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**
01. मोहित निषाद पुत्र संजय निषाद निवासी मदरही मजरे सोनौली मोहम्मदपुर वर्तमान पता उमरी बाजार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**
01. मु0अ0सं0-179/2025, धारा 108 बीएनएस थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**
01. उ0नि0 अक्षय कुमार मिश्रा
02. का0 सुरेश यादव द्वितीय
03. का० सूरज कुमार

**मीडिया सेल, गोण्डा**

**प्रेसनोट**
**दिनांक 03.09.2025**

## थाना तरबगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 240 ग्राम गांजा के साथ किया गया गिरफ्तार -

**कार्यवाही-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रगड़गंज चौराहे से 200 मी0 तरबगंज रोड के किनारे गुमटी से अभियुक्त आशीष कुमार तिवारी उर्फ आशु तिवारी पुत्र रामसेवक तिवारी निवासी ग्राम डेहरास थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 240 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 02.09.2025 को थाना तरबगंज के उ0नि0 संजीव सिंह मय हमराह क्षेत्र भ्रमण व चेकिंग में रवाना थे। रगड़गंद चौराहे पर चेकिंग के दौरान सूचना प्रात हुई की रगड़गंज चौराहे से करीब 200 मीटर तरबगंज रोड पर सड़क की दाहिनी पट्टी पर स्थित एक गुमटी मे एक व्यक्ति अवैध गांजा बेच रहा है, उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा अभियुक्त आशीष कुमार तिवारी उर्फ आशु तिवारी पुत्र रामसेवक तिवारी निवासी ग्राम डेहरास थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 240 ग्राम गांजा बरामद किया गया। थाना स्थानीय पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 273/2025 धारा 8/20 NDPS Act का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. आशीष कुमार तिवारी उर्फ आशु तिवारी पुत्र रामसेवक तिवारी निवासी ग्राम डेहरास थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01- मु0अ0सं0 273/2025 धारा 8/20 NDPS Act थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01- 240 ग्राम गांजा

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 सुनील कुमार
02. का० महेश यादव
03. का० वीरेन्द्र कुमार
04. का० अमित कुमार

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**
**दिनांक 03.09.2025**

## थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अदद पिकअप बरामद-

**कार्यवाही:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-678/2025, धारा 303(2) बीएनएस बढोतत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 शातिर चोरों - 01. उस्मान खान पुत्र सफी मोहम्मद व 02. फैज अहमद उर्फ कोइली पुत्र तुफैल अहमद को खैरा भवानी मोड़ विमौर के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद महिन्द्रा बोलेरो पिकअप बरामद की गयी।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 01.09.2025 को जाहिद अली पुत्र वली मोहम्मद निवासी विष्णुपुरी कालोनी सिविल लाइन गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 01.9.2025 को रात में उनकी महिन्द्रा पिकप सं0 UP43T6583 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर ली गयी, वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 03.09.2025 को थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाले 02 शातिर वाहन चोरों 01. उस्मान खान पुत्र सफी मोहम्मद व 02. फैज अहमद उर्फ कोइली पुत्र तुफैल अहमद को खैरा भवानी मोड़ विमौर के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद महिन्द्रा बोलेरो पिकअप बरामद की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. उस्मान खान पुत्र सफी मोहम्मद उम्र 23 वर्ष निवासी तिवारी पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा ।
02. फैज अहमद उर्फ कोइली पुत्र तुफैल अहमद उम्र 25 वर्ष निवासी पेरी गाँव पूरे शिवा बख्तावर झंझरी ब्लाक थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-678/2025, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 अदद चोरी की महिन्द्रा बोलेरो पिकप

**अभियुक्त फैज अहमद उर्फ कोइली s/o तुफैल अहमद का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0स0 732/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा ।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 अंकित सिंह
02. कां0 दीपक कुमार
03. कां0 अमित तोमर
04. कां0 छोटेलाल यादव

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**
**दिनांक 03.09.2025**
**मिशन शक्ति अभियान 5.0**

**पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा गांवों में चौपाल लगाकर बालिकाओं/महिलाओं की समस्याओं का किया जा रहा निस्तारण-**

**महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में किया गया जागरूक-**

**महिलाएं/बालिकाएं/बेटियां हो स्वावलंबी, उनकी हो सुरक्षा, हो उनका सम्मान, शासन की है महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति अभियान-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र के अन्तर्गत थानों पर गठित एण्टीरोमियो टीम व बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांवो में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण कराने के सम्बन्ध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन आदि अधिकारो के प्रति महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नहीं आना पडेगा अपितु शक्ति दीदी नियमित अन्तराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवो में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा।

आज दिनांक 03.09.2025 को जनपद के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारीगण (शक्ति दीदी) द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर मनचलों/शोहदों को रेड कार्ड दिया गया तथा महिलाओं और बालिकाओं से फीडबैक फार्म भरवाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया तथा बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से गुडटच - बैडटच की जानकारी दी गई। बच्चों को पढ़ने तथा स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया गया तथा बच्चों से स्कूल जाने पर रास्ते में किसी प्रकार की समस्या होने के बारे में पूछा गया थाना फीडबैक फार्म को भरवाया गया। बच्चों को बताया गया कि किसी अनजान व्यक्ति के बुलाने या बहकावे में न आए न ही कोई खाने पीने की वस्तु ले तथा बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर-1098 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा महिलाओं एवम बालिकाओं/बच्चों के प्रति हो रहे अपराधो जैसे छेड़छाड़/शोषण, बाल अपराध, एसिड अटैक, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पीड़न इत्यादि की रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी किए गए सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन नंबरों- 1090,181,102, 108,1076, 1098,1930 साइबर अपराध के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**